

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1982/फाल्गुन 3, 1903
No. 63] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1982/PHALGUNA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1982

का.डि. 90(अ).—केंद्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खण्ड (4) के अनुसरण में, श्री पी के ठीगरा के स्थान पर श्री आर के राव, विशेष कार्य अधिकारी को 23 फरवरी, 1982 से अगले आदेश तक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद के निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना

सं. का.आ. 81(अ), तारीख 8 फरवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 3 के सामने, स्तम्भ (1) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“श्री आर. के. राव” ।

[सं. पी. 15014/7/82-पी.एच. (एफएण्डएन) पीएफए]

आर. के. सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1982

S.O. 90(E).—In pursuance of clause (iv) of Section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri R. K. Rao, Officer on Special Duty, to perform all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Ghaziabad vice Shri P. K. Dhingra, with effect from the 23rd February, 1982 till further order; and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 81(E), dated the 8th February, 1978, namely :—

In the Table to the said notification, against serial number 3, in column (1), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri R. K. Rao”.

[No. P-15014/7/82-PH(F&N)PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.